मानव संसाधन का अनुबंध वित्तीय वर्ष 2017–18 हेतु निविदा प्रपत्र

:: निविदा आमंत्रण ::

निविदा संख्या :13फ/नजारत/363 *दिनांक : 14 मार्च, 2017*

कार्यालय, महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश

संयुक्त निदेशक (मुख्यालय)

स्वास्थ्य भवन, कैसरबाग, लखनऊ (उ.प्र.)

फोन नं0– 0522–2623948

Website : www.uphealth.up.nic.in

Email : nazaratum@gmail.com

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश लखनऊ।

अनुभाग–13 (नजारत)
स्वास्थ्य भवन, कैसरबाग, लखनऊ (उ.प्र.)
फोन नं0– 0522–2623948

Website: www.uphealth.up.nic.in

Email: nazaratum@gmail.com

INVITATIONFORBID
निविदा आमंत्रण

मानव संसाधन का अनुबंध वित्तीय वर्ष 2017–18 हेतु निविदा प्रपत्र

*निविदा संख्या :*13फ/नजारत/363 *दिनांक : 14 मार्च, 2017*

निविदा प्रपत्र की विक्रय/डाउनलोड करने की प्रारंभ तिथि	:	22 मार्च, 2017
निविदा प्रपत्र की विक्रय/डाउनलोड करने की अंतिम तिथि	:	12 अप्रैल, 2017
निविदा पढ़ने की स्थान व तिथि	:	नजारत/13 अप्रैल, 2017/02:30 बजे अपरान्ह
निविदा खुलने की तिथि व समय	:	13 अप्रैल, 2017/ 03:00 बजे अपरान्ह
पत्राचार का पता	:	*संयुक्त निदेशक (मुख्यालय) ,स्वास्थ्य भवन, कैसरबाग, लखनऊ (उ.प्र.)*
निविदा प्रपत्र का मूल्य	:	*रू0 1,150/– (सभी कर सहित)* *(एक हजार एक सौ पचास रूपये मात्र डिमांड ड्राफ्ट के रूप में)*

अनुक्रमांक (Index)

निविदा आमंत्रण .... पृष्ठ संख्या– 2 से 2

खण्ड–1 (निविदादाता के लिए निर्देश एवं
निविदा की समान्य शर्ते) .... पृष्ठ संख्या– 5 से 8

खण्ड–2 (सेवाप्रदाता के चयन का आधार)..पृष्ठ संख्या– 9 से 9

खण्ड–3 (चेक लिस्ट) ....पृष्ठ संख्या– 10 से 10

खण्ड–4 (निविदा फॉर्म)..पृष्ठ संख्या– 11 से 14

कार्यालय, महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश।

संख्या–13फ / नजारत / 363 लखनऊः 14 मार्च, 2017

–: निविदा सूचना :–

राज्यपाल उत्तर प्रदेश की ओर से अनुबंध की तिथि से एक वर्ष तक वैध अनुबंध हेतु वित्तीय वर्ष 2017–2018 के लिए कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें उत्तर प्रदेश, लखनऊ प्रयोगार्थ लगभग 40 कम्प्यूटर आपरेटरो, 08 सफाई कर्मचारी एवं 08 चतुर्थ श्रेणी कर्मियो की आपूर्ति / अनुबंध हेतु ख्याति प्राप्त निविदा दाताओ (सेवा प्रदाता एजेन्सी) से सील बन्द निविदाये आंमत्रित की जाती है। निविदा संयुक्त निदेशक (मुख्यालय) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें उत्तर प्रदेश, लखनऊ को सम्बोधित होगी। निविदा मे अंकित संख्या अनुमानित है, जो कि आवश्यकतानुसार घटायी / बढ़ायी जा सकती है। निविदा प्रपत्र दिनांक 22 मार्च, 2017 से दिनांक 12 अप्रैल, .2017 तक निविदा प्रपत्र विभागीय वेबसाईट– www.uphealth.up.nic.in पर उपलब्ध है, जिसे निविदा विक्रय के अंतिम तिथि तक डाउनलोड किया जा सकता है। निविदा शुल्क रू0–1,150 / – (रूपया एक हजार एक सौ पचास मात्र, कर सहित, जो वापस नही होगा), का भुगतान ''महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय उ0प्र0 लखनऊ'' को डिमान्ड ड्राफ्ट द्वारा निविदा जमा करते समय जमा करना अनिवार्य होगा अथवा निविदा फीस रू0 1,150 / – अधोहस्ताक्षरी के कैशियर कार्यालय मे कार्यालय दिवस के भीतर पूर्वान्ह 11:00 बजे से सांय 05:00 बजे तक नगद धनराशि जमाकर नजारत अनुभाग से निविदा प्रपत्र एवं अन्य शर्ते प्राप्त किया जा सकता है।

निविदा दिनांक 13 अप्रैल, 2017 को अपरान्ह 02:30 बजे तक स्वास्थ्य भवन मे अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय कक्ष मे रखे निविदा बॉक्स मे डाली जायेंगी तथा क्रय समिति के समक्ष उसी दिन अथवा अपरिहार्य कारणवश अगले दिन अपरान्ह 03:00 बजे खोली जाएंगी। निविदादाताओ को यह भी निर्देशित किया जाता है, कि उन्हे अपनी निविदा के साथ रू0–5,000 / – (रू0–पांच हजार मात्र) (जो राष्ट्रीयकृत बैंक के बैंक ड्राफ्ट / बैंक गारन्टी) के रूप मे हो, अर्नेस्ट मनी के रूप मे संयुक्त निदेशक (मुख्यालय), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें उत्तर प्रदेश, लखनऊ को अन्य प्रपत्रो के साथ निविदा मे लगाना अनिवार्य होगा। अपूर्ण एवं सशर्त निविदा पर विचार नही किया जायेगा। महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य को एक अथवा समस्त निविदा बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार होगा। फर्म / निविदादाता का विगत तीन वर्षो में प्रति वर्ष का वार्षिक टर्न ओवर 50 लाख रूपये हो, जो आडिटर / चार्टर्टड एकाउन्टेंट द्वारा प्रमाणित हो। निविदा शर्तो मे उल्लिखित किये गये प्रपत्रो की प्रमाणित प्रतियां निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा अन्यथा की दशा मे निविदा निरस्त कर दी जायेगी।

महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उत्तर प्रदेश को बिना कारण बतायें सम्पूर्ण निविदा अथवा मानव संसाधन कर्मियों की संख्या घटाने / बढाने व निरस्त करने का अधिकार होगा।

संयुक्त निदेशक (मुख्यालय)

निविदा की समान्य शर्ते एवं निविदादाताओं हेतु निर्देश

वित्तीय वर्ष 2017–18 में कम्प्यूटर आपरेटरो/सफाई कर्मी/चतुर्थ श्रेणी कर्मी की सेवाएं प्राप्त करने हेतु निविदा सूचना संख्या–13फ/नजारत/363, दिनांक 14.03.2017 के संदर्भ मे आवश्यक शर्तेः–

व्यवस्था हेतु विस्तृत दिशा निर्देश निम्नवत् है –

1. कम्प्यूटर आपरेटर/सफाई कर्मचारी/चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की वांछित अर्हताये एवं उनको दिया जाने वाला पारिश्रमिक निम्नवत् होगाः–

कम्प्यूटर आपरेटरः– दिया जाने वाला पारिश्रमिक– रू0– 8889.05+26.44 प्रतिशत

शैक्षिक अर्हताः–

1– न्यूनतम इंटरमीडिएट पास।

तकनीकी अर्हताः–

1– कम्प्यूटर मे एक वर्षीय डिप्लोमा/ न्यूनतम NIELIT द्वारा जारी CCC प्रमाण पत्र या उसके समकक्ष के साथ हिन्दी एवं अंग्रेजी कम्प्यूटर टाइपिंग मे क्रमशः 25 शब्द प्रति मिनट एवं 30 शब्द प्रति मिनट होना अनिवार्य है।

2– किसी संस्थान मे कम्प्यूटर कार्य करने का कम से कम एक वर्ष का अनुभव होना अनिवार्य है।

2–सफाई कर्मीः– दिया जाने वाला पारिश्रमिक– रू0– 7214.12+26.44 प्रतिशत

1– कक्षा पांच पास हो तथा किसी संस्थान मे सफाई कार्य का अनुभव होना अनिवार्य।

3– चपरासीः– दिया जाने वाला पारिश्रमिक– रू0– 7214.12+26.44 प्रतिशत

1– कक्षा आठ पास हो तथा किसी संस्थान मे चपरासी के कार्य का अनुभव होना अनिवार्य।

ई0पी0एफ0 13.36 प्रतिशत, बोनस 8.33 प्रतिशत, ई0एस0आई0 4.75 प्रतिशत कुल 26.44 प्रतिशत के साथ नवीनतम सर्विस टैक्स एवं निविदा द्वारा चयनित फर्म द्वारा चार्ज किये जाने वाला सर्विस चार्ज जो लागू होगा देय होगा।

सेवा प्रदाता कम्पनी का पंजीयन श्रम विभाग, ई0एस0आई0सी0 के अन्तर्गत होना अनिवार्य होगा।

2. निविदायें दो लिफाफा प्रणाली के अन्तर्गत आमंत्रित की जा रही है, जिसमें एक लिफाफा तकनीकी अर्हताओं (Technical Bid) के लिये है तथा दूसरा लिफाफा दर (Financial Bid) के लिये, इस प्रकार निविदादाताओं को दो सील्ड लिफाफे को एक बड़े लिफाफे के अन्दर (सील्ड) मुहरबन्द कर देना होगा। टेक्निकल बिड के सभी दस्तावेज स्पाईरल बाइडिंग/हार्ड बांड के रूप में होगा। पहला लिफाफा अर्हताओं (टेक्निकल बिड) का लिफाफा होगा जिसमें निंधारित अर्नेस्ट मनी व निविदा के साथ मांगे गये अन्य प्रपत्र होगें, दूसरा लिफाफा दरों (फाइनेंशियल बिड) का लिफाफा होगा जिसमें टेण्डर फार्म में निंधारित वित्तीय भावपत्र हेतु प्रारूप पर दर अंको व शब्दों में भरकर देनी होगी तथा दोनों लिफाफें में बन्द करके उसके ऊपर कार्य व फर्म/सेवा प्रदाता एजेन्सी का नाम, पता सहित लिखा होना आवश्यक है। केवल परिपूर्ण अर्हतायुक्त निविदादाताओं के ही दरों का लिफाफा खोला जायेगा।

अर्हताओं (टेक्निकल बिड) के लिफाफें में निम्नलिखित प्रपत्रों को संलग्न करना अनिवार्य हैः–

- वांछित अर्नेस्ट मनी।
- पैन कार्ड प्रमाण–पत्र।
- अद्यतन वित्तीय वर्ष का सेवा कर पंजीकरण प्रमाण पत्र (वित्तीय वर्ष 2016–17 हेतु नवीनीकृत)।
- स्वयं एवं फर्म के पता का प्रमाण–पत्र (कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रपत्र पर)
- निविदादाता का सत्यापित फोटो (कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रपत्र पर)
- प्रपत्रों का वास्तविक होने का प्रमाण–पत्र (कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रपत्र पर)

- फर्म होने की दशा में पार्टनरशिप डीड सर्टिफिकेट, पावर आफ एटार्नी अथवा स्वयं एक मात्र प्रोपराइटर होने की दशा में इस आशय का प्रमाण–पत्र (शपथ–पत्र) व्यक्तिगत पंजीयन होने पर इसकी आवश्यकता नही है।
- श्रम विभाग में मानव संसाधन (स्कील्ड) का पंजीकरण।
- स्थानीय फर्म न होने होने की दशा में स्थानीय कार्यालय का पता।
- ई0एस0आई0 / ग्रुप इन्श्योरेन्स का पंजीयन प्रमाण पत्र।
- ई0पी0एफ0 पंजीकरण प्रमाण पत्र।
- सेवा प्रदाता एजेन्सी / संस्था का भविष्य निधि (पी0एफ0) का पंजीयन होना अनिवार्य है एवं माह जून 2016 पी0एफ0 का चालान एवं रजिस्ट्रेशन की छायाप्रति भी संलग्न करें।
- सेवा प्रदाता एजेन्सी द्वारा पूर्व से कार्यरत कर्मियों को मानदेय देने का माध्यम (एकाउन्ट पेई चेक / कैश / बियरर चेक) का प्रमाण पत्र / छायाप्रति।
- अद्यतन सर्विस टैक्स क्लियरेन्स जमा करने का सर्टिफिकेट।
- सेवा प्रदाता एजेन्सी / संस्था का श्रम विभाग में लेबर एक्ट 1970 के तहत एवं सेवा कर हेतु केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग में पंजीकृत होना अनिवार्य है। सेवा कर का नवम्बर 2015 से फरवरी 2017 चालान एवं पंजीकरण की प्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य है। साथ ही पैन तथा टिन नम्बर की स्वप्रमाणित छायाप्रतियां भी संलग्न करें।
- विगत 03 वर्ष का सी0ए0 आडिट सर्टिफिकेट।
- फर्म / निविदादाता का विगत तीन वर्षो में प्रति वर्ष का वार्षिक टर्न ओवर 50 लाख रूपये हो, जो आडिटर / चार्टर्टड एकाउन्टेंट द्वारा प्रमाणित हो।
- निविदा परीक्षण के दौरान जरूरत पड़ने पर तकनीकी निविदा में संलग्न दस्तावेजों की छायाप्रतियों की मूल प्रति से मिलान किया जायेगा। सम्बन्धित निविदादाता को मूल प्रति अवलोकनार्थ हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। ऐसा न करने पर निविदा निरस्त कर दी जायेगी।
- चयनित सेवा प्रदाता संस्था द्वारा उपलब्ध कराये गये अभ्यर्थियों में से कुशल एवं स्वस्थ अभ्यर्थियों की तैनाती की जायेगी तथा तैनात कर्मचारियों को समस्त कार्य महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश के पक्ष के निर्देशानुसार करना होगा। किसी कर्मचारी के तैनाती के लिए अकुशल एवं अक्षम होने का निर्णय महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश के पक्ष का होगा तथा अनिवार्य रुप से मान्य होगा। चयनित चतुर्थ श्रेणी / सफाई कर्मियों को कार्यालय द्वारा निर्धारित यूनीफार्म में ही कार्य करना अनिवार्य है। कर्मचारियों को यूनीफार्म में आना सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व सेवा प्रदाता एजेन्सी / संस्था का होगा।
- यदि कोई कर्मी बीमार है अथवा अवकाश पर है, तो कम्पनी का दायित्व होगा, कि उसके स्थान पर दूसरे कर्मी की उपलब्धता सुनिश्चित करेगी ताकि शासकीय कार्य बाधित न हो अन्यथा की स्थिति मे शासकीय नियमो के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।

4.1 अर्नेस्ट मनी रू0 5000/– मात्र (रू0 पाच हजार मात्र) होगी यह राशि केवल बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश के पक्ष में बन्धक जमा करनी होगी, अर्ह पाये गये निविदा दाताओ में एल–1 निविदादाता को ए0एल0 प्राप्ति के सात दिनों के अन्दर परफॉरमेन्स सिक्योरिटी रू0:– 200000.00 (रू0– दो लाख) जो किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से बैंक गारन्टी के रूप में जो अनुबन्ध अवधि तक वैद्य हो, अनुबन्ध के साथ महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश के पक्ष में बन्धक हो जमा करना अनिवार्य होगा। अन्यथा की दशा मे अनुबन्ध स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

4.2 निविदा प्रपत्र के साथ नवीनतम आयकर प्रमाण–पत्र जो निविदा तिथि को वैध हो संलग्न करना अनिवार्य होगा।

4.3 निविदा प्रपत्र के साथ सेवा कर पंजीकरण प्रमाण पत्र जो निविदा तिथि को वैध हो संलग्न करना अनिवार्य है।

4.4 वांछित प्रपत्रों के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार का प्रार्थना–पत्र समिति द्वारा स्वीकार्य नही होगा।

05. जिस व्यक्ति अथवा फर्म की निविदा स्वीकार होगी उसे जमानत की धनराशि जमा करना होगा जो अधोहस्ताक्षरी के पक्ष मे बंधक होगा एवं स्टाम्प ड्यूटी नियमानुसार देना होगा एवं अनुबन्ध निर्धारित अवधि के अन्दर भरना होगा अन्यथा अर्नेस्ट मनी जब्त की जा सकती है।

06. निविदा की स्वीकृति के एक सप्ताह के अन्तर्गत कार्यादेश पर कार्य निर्धारित स्थल पर प्रारम्भ करना होगा इस कार्य हेतु किसी भी प्रकार का अतिरिक्त व्यय देय नही होगा। उपलब्ध कराये गये कर्मियों का चरित्र/स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, योग्यता प्रमाण पत्र नवीनतम् फोटो व दूरभाष सम्बन्धी
विवरण संस्था द्वारा उपलब्ध कराये गये विवरण पत्रों में अंकित रहेगा, जिसे अनुबन्ध के समय प्रस्तुत करना होगा।

07. निविदा मे प्राप्त दरे अनुबन्ध अवधि तक वैद्य होंगी। दरे कम होने की दशा मे निविदादाता का यह दायित्व होगा कि वह विभाग को तत्काल सूचित करे, अन्यथा की दशा मे कम हुयी धनराशि की वसूली की जायेगी।

08. चयन समिति को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी निविदा को चाहे वह सबसे कम या अधिक मूल्य का हो स्वीकृत या अस्वीकृत कर सकती है इस सम्बन्ध में यह किसी भी विवाद/निर्णय के लिये निविदादाता को न्यायालय याचिका करने का अधिकार नहीं होगा और चयन समिति का निर्णय अन्तिम व सर्वमान्य होगा।

09. जिस व्यक्ति/फर्म की निविदा स्वीकृत होगी उसके द्वारा अनियमितता करने पर उसकी जमानत धनराशि जब्त कर ली जायेगी और चयन समिति द्वारा उस ठेकेदार/फर्म को तीन वर्ष के लिए ब्लैक लिस्ट कर दिया जायेगा।

10. निविदा में रेट मैट्रिक प्रणाली में दिया जाये। (दर अंको तथा शब्दों में दिया जाये)

11. निविदा स्वीकृत होने के पूर्व व पश्चात् किसी भी स्तर पर यह तथ्य दृष्टिगत होता है कि असत्य प्रपत्र लगाकर निविदा प्राप्त की गयी है तो ठेकेदार की निविदा तत्कालीक प्रभाव से निरस्त कर दी जायेगी तथा जमानत की धनराशि जब्त कर ली जायेगी।

12. राजकीय कार्यहित में संविदा की शर्तों में आवश्यक नियम–संगत परिवर्तन/परिवर्धन करने का पूरा अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित है।

13. किसी भी स्थिति में निर्धारित धनराशि से अधिक के कार्य की स्थिति में नियमानुसार अतिरिक्त जमानत धनराशि एवं स्टाम्प ड्यूटी का अदायगी ठेकेदार को करनी होगी।

14. निविदा के समस्त शर्तें पूर्ण न होने पर निविदा निरस्त कर दी जायेगीं एवं सशर्त निविदा कदापि स्वीकार नही की जायेगीं।

15. निविदादाता कम्पनी को अपने प्रपत्रो के साथ जिन–जिन विभागो मे प्रश्नगत कार्य सम्पादित किया जा रहा है, वहां के आदेशो की प्रतियां एवं परफारमेन्स रिपोर्ट लगाना अनिवार्य है।

16. सेवा प्रदाता संस्था द्वारा सेवा कर व सेवा शुल्क के आधार राजाज्ञाओं के अनुरुप ही देय होगा।

17. जिलाधिकारी द्वारा/पुलिस अधीक्षक द्वारा निर्गत चरित्रप्रमाण पत्र जो कि छः माह से पूर्व का न हो एवं निविदा तिथि तक वैद्य हो।

18. सेवा प्रदाता द्वारा एकाउन्ट पेई चेक/इन्टरनेटट बैंकिग के द्वारा कर्मियो का भुगतान किया जाना होगा।

19. ई0पी0एफ0 की धनराशि जो कर्मचारियो के खाते मे जमा की जायेगी उसका प्रत्येक छः माह का विवरण विभाग को उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य होगा, अन्यथा की दशा मे अनुबन्ध निरस्त कर दिया जायेगा।

20. सेवा प्रदाता को अवैधानिक रूप से कर्मी के मानदेय से किसी प्रकार की कटौती/निकासी का अधिकार नही होगा एवं कर्मी को बैंक द्वारा हस्तांतरित (बैंक ट्रान्सफर) की मानदेय का प्रमाण प्रति तीसरे माह के अंत में अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। कर्मी द्वारा इस सम्बन्ध में किसी प्रकार की शिकायत सत्य पाये जाने पर अनुबंध रद्द कर दिया जायेगा।

21. अर्ह पायी गयी सेवा प्रदाता फर्म के द्वारा विभाग को उपलब्ध कराये गये कर्मी के साथ अनुबंध करना अनिवार्य होगा, जिसमें कर्मी को देय मानदेय, बैंक डिटेल एवं अन्य सेवा शर्तो की विस्तर्त जानकारी होना अनिवार्य है। कर्मी के द्वारा विभाग में नियुक्ति के समय अनुबंध पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

21. फर्म द्वारा निविदा मे उल्लिखित प्रतिमाह कर्मियो को दी जाने वाली धनराशि मे ई0पी0एफ0 भी सम्मिलित होगा, जिसमे नियोक्ता एवं कर्मचारी का नियमतः अंशदान सम्मिलित होगा।

22. **निविदादाता को पिछले 03 वर्षो मे जिन–जिन सरकारी संस्थान मे मानव संसाधन की आपूर्ति की है/सेवा प्रदत्त की है, के आदेशो की प्रतिया लगाया जाना अनिवार्य होगा, अन्यथा की दशा मे निविदा निरस्त समझी जायेगी।**

23. **अर्ह पायी गयी कम्पनी को विभाग से अनुबन्ध करना अनिवार्य होगा।**

निविदादाता को रू0–100/– के स्टैम्प पेपर पर इस आशय का शपथ पत्र दिया जाना अनिवार्य होगाः–

क– फर्म द्वारा श्रमिको को जो भुगतान किया जायेगा वह समय–समय पर श्रम विभाग के जारी निर्देशो के अनुरूप होगा।
किसी प्रकार के विवाद की स्थिति मे कम्पनी स्वंय उत्तरदायी होगी।

ख– जो दरे निविदा मे दी गयी है उससे कम दर पर किसी भी संस्थान मे मानव संसाधन की आपूर्ति नही की जा रही है।

ग– फर्म ख्यातिप्राप्त है, किसी भी संस्थान मे ब्लैक लिस्ट/डिबार नही है।

घ– निविदा मे दी गयी दरे बाजार दरो से अधिक नही है।

च– फर्म द्वारा नियमित रूप से आयकर/बिक्री कर अथवा अन्य कर जो भी देय हो, भुगतान किया जा रहा है। विवाद अथवा अदेयता की स्थिति मे फर्म स्वंय उत्तरदायी होगी।

छ– फर्म का निविदा मे वांछित संस्थाओ मे पंजीयन है, जो वर्तमान मे वैध है अन्यथा की दशा मे फर्म स्वंय उत्तरदायी होगी।

सेवा प्रदाता का चयन निम्न प्रकार से किया जायेगाः–

1– जो सेवा प्रदाता संस्था निविदा मे दी गयी तकनीकी योग्यता के शर्तो को पूरा करते है, केवल उनका ही फाइनेन्शियल बिड खोला जायेगा। फाइनेन्शियल बिड मे जिन निविदा दाताओ द्वारा न्यूनतम सेवा शुल्क एवं सर्विस चार्ज की मांग की जायेगी, उन्ही का चयन किया जायेगा अतएंव वित्तीय भावपत्र मे केवल सेवा शुल्क/सर्विस चार्ज की दर ही अंकित की जायेगी। इस सम्बन्ध मे समिति का निर्णय अन्तिम होगा।

क– सेवा प्रदाता संस्था द्वारा विगत 03 वर्षो मे सेवा प्रदाता के रूप मे शासकीय विभागो/संस्थाओ तथा निजी क्षेत्र के उपक्रमो/सस्थाओ के लिए उपलब्ध करायी गयी सेवाओ/कार्मिको का विवरण रहेगा। इस विवरण मे कार्मिको की प्रकृति, संस्था, सकल वेतन तथा योग्यता आदि कर अवश्य उल्लेख होगा।

ख– सेवा प्रदाता संस्था का संगठनात्मक चार्ट भी दिया जायेगा जिसमे संस्था की प्रबन्ध समिति के अध्यक्ष तथा सदस्यो का नाम, पता विभिन्न स्थानो पर सेवा प्रदाता संस्था द्वारा स्थापित किये गये कार्यालय, कार्मिको के चयन के सम्बन्ध मे सेवा प्रदाता संस्था द्वारा नियुक्ति किये गये एक्सपर्ट पैनल मे एक्सपर्ट कार्मिको का नाम, पता तथा योग्यता आदि शामिल होंगे।

ग– जिस विशिष्ट कार्य के लिए सेवा प्रदाता संस्था की सेवाये/कार्मिक लिये जाने प्रस्तावित है, उन विशिष्ट कार्यो/कार्मिको को विभिन्न संस्थाओ मे उलबध कराने के बारे मे विगत 03 वर्षो मे सेवा प्रदाता द्वारा कार्य/योगदान किया गया हो तो उसका उल्लेख।

घ– सेवा प्रदाता संस्था का विगत तीन वर्षो में प्रति वर्ष का वार्षिक टर्न ओवर 50 लाख रूपये हो, (टर्न ओवर मे केवल सेवा प्रदाता संस्था द्वारा प्राप्त किया गया सेवा शुल्क/सर्विस चार्ज ही शामिल होगा। अर्थात कार्मिको के वेतन तथा विभिन्न टैक्सेस/शुल्क के रूप किये गये भुगतान शामिल नही किये जायेंगे)।

उपरोक्त सभी शर्तो से सहमत की दशा मे हस्ताक्षरित कर निविदा प्रपत्रो के साथ मूलरूप मे संलग्न करना अनिवार्य होगा। असहमति की दशा मे निविदा स्वीकार नही होगी। कर्मिको की नियुक्ति उ0प्र0 सरकार द्वारा निर्धारित आयु सीमा के भीतर होना अनिवार्य है। जो पारिश्रमिक का निविदा शर्तो मे उल्लेख किया गया है और श्रम विभाग द्वारा निर्धारित नियमो के अन्तर्गत है, का ही भुगतान कर्मियो को किया जाना अनिवार्य होगा।

महानिदेशक,

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये उत्तर प्रदेश

चेक लिस्ट

क्रमांक	संदर्भ/	पृष्ठ संख्या–
1.	फर्म/संस्था का नाम	
2.	आवेदित कार्यालय का नाम	
3.	फर्म/संस्था का पूरा पता तथा टेलीफोन नम्बर/मोबाईल नम्बर	
4.	प्रोपाराइटर का नाम	
5.	पत्राचार का पता टेलीफोन नं0/मोबाईल नं0 सहित	
6.	सर्विस टैक्स पंजीयन संख्या (पंजीयन की छायाप्रति संलग्न करे)	
7.	आयकर पजीयन संख्या	
8.	टिन संख्या फार्म–11 (पजीयन की छायाप्रति संलग्न करे)	
9.	ई0पी0एफ एवं ई0एस0आई0 संख्या	
10.	अर्नेस्ट मनी की धनराशि एवं बैंक ड्राट संख्या/बैंक का नाम	
11.	परफारमेंश सिक्योरिटी की धनराशि बैंक का नाम एवं विवरण	
12.	उत्तर प्रदेश शासन के श्रम विभाग द्वारा जारी किया गया पंजीयन संख्या एवं प्रमाण–पत्र	
13.	संस्था क्या किसी अन्य शासकीय विभाग को भी सुविधा उपलब्ध करा रही है? यदि हां तो विभाग का नाम	
14.	क्या संस्था द्वारा किसी सरकारी विभाग मे कार्य किया गया है? यदि हां तो विवरण दें	
15.	जिलाधिकारी द्वारा/पुलिस अधीक्षक द्वारा निर्गत चरित्रप्रमाण पत्र जो कि छः माह पूर्व का न हो एवं निविदा तिथि तक वैद्य हो।	
16.	तकनीकी निविदा के साथ संलग्न प्रपत्रो की संख्या	
17.	निविदा मे रू0–100/– के स्टैम्प पेपर पर शपथ पत्र मूलरूप मे	
18.	निविदा फार्म एवं समस्त शर्ते मूलरूप मे स्वहस्ताक्षरित हो फर्म के स्टैम्प के साथ	

नोटः–निविदा मे प्रत्येक पृष्ठ पर पेज न0 स्वंय अंकित करते हुए उपरोक्त कॉलम मे पृष्ठ संख्या अंकित करे।
निविदा के प्रत्येक पृष्ठ पर फर्म की मोहर लगाते हुए स्वंय हस्ताक्षरित किया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा निविदा निरस्त कर दी जायेगी।

स्वयं के पते का प्रमाण–पत्र

संविदा अवधि में मेरा पता निम्नानुसार रहेगा तथा इस पते पर भेजे गये समस्त प्रपत्र चाहे मुझे प्राप्त हो चाहे न प्राप्त हों मेरे लिये बाध्यकारी होंगे।

दिनांक ....

निविदादाता के हस्ताक्षर..

निविदादाता का नाम..

पता..

<u>निविदादाता का सत्यापित फोटो हेतु फार्म</u>

प्रमाणित किया जाता है कि श्री ....पुत्र श्री ....
....निवासी...
(पता अंकित करें) को मैं भली भातिं जानता हूं। तद्नुसार इनके हस्ताक्षर व फोटो नीचे अंकित विवरण के अनुसार सत्यापित किये जाते हैं।

राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित फोटो

निविदादाता के हस्ताक्षर ....

श्री ....के सत्यापित हस्ताक्षर

अधिकारी का हस्ताक्षर...

नाम...

पदनाम की मुहर...

DECLARATION FORM

I--S/O---
R/O---PostOffice---------------------------------
District---hereby tender for the appointment of contractor for the financial year 2015-2016 on the following terms & conditions.

Firm-------------------------
Address----------------------
Dated-----------------------

Signature of Tenderer

I agree to deposit the security in accordance with the instructions laid down in Appendix –XIX of F.H.B. IV part-I in view

Signature of Tenderer

वित्तीय भावपत्र (दो प्रतियो मे)

1— फर्म का नाम एवं पता ....

क्र0सं0	पदनाम	देय संकलित वेतन	सर्विस चार्ज	योग	सेवाकर नियमानुसार	अन्य कोई शुल्क	कुल योग
01	कम्प्यूटर आपरेटर						
02	सफाई कर्मी						
03	चतुर्थ श्रेणी						

महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें उत्तर प्रदेश, द्वारा प्रकाशित विज्ञापन के सन्दर्भ मे निविदा की समस्त शर्तो को स्वीकार करता हूं/करते है, जिसके लिए विभाग का निर्धारित निविदा फार्म भरकर शुल्क सहित भेज रहा हूं/भेज रहे है, जिसकी प्रमाणिकता स्वरूप निविदा फार्म पर हस्ताक्षर कर दिया है/दिये है। नियमो एवं शर्तो का अनुपालन पूर्णतः करूंगा।

1—कम्प्यूटर आपरेटरः— दिया जाने वाला पारिश्रमिक— रू0— 8889.05+26.44 प्रतिशत
2—सफाई कर्मीः— दिया जाने वाला पारिश्रमिक— रू0— 7214.12+26.44 प्रतिशत
3— चपरासीः— दिया जाने वाला पारिश्रमिक— रू0— 7214.12+26.44 प्रतिशत

ई0पी0एफ0 13.36 प्रतिशत, बोनस 8.33 प्रतिशत, ई0एस0आई0 4.75 प्रतिशत कुल 26.44 प्रतिशत के साथ नवीनतम सर्विस टैक्स एवं निविदा द्वारा चयनित फर्म द्वारा चार्ज किये जाने वाला सर्विस चार्ज जो लागू होगा देय होगा।

दिनांक ....

निविदादाता का हस्ताक्षर

पूरा नाम एवं पता